



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21062025-264026
CG-DL-E-21062025-264026

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2703]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 20, 2025/ज्येष्ठ 30, 1947

No. 2703]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 20, 2025/JYAISTHA 30, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2025

का.आ. 2769(अ).— पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा, हरियाणा राज्य में मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की दादरी - पानीपत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिये पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत श्री अभय सिंह चौहान, परिचालन प्रबंधक, मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को श्री आशीष कुमार, सहायक प्रबंधक (संचालन एवं रखरखाव), मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्थान पर सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना इसके जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एल-14014/5/2021-जीपी-II (ई-47655)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th June, 2025

S.O. 2769(E).— In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Shri Abhay Singh Chauhan, Operations Manager, M/s. Indian Oil Corporation Limited in place of Shri Ashish Kumar, Assistant Manager (Operations & Maintenance), M/s. Indian Oil Corporation Limited to perform the functions of Competent Authority under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 for Dadri - Panipat Natural Gas Pipeline of M/s. Indian Oil Corporation Limited in the State of Haryana.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/5/2021-GP-II (E-47655)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.